# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00162

**रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध शौर्य इन्फ्राटेक**

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30/11/2018 | – प्रकरण प्रस्तुत।<br>– अनावेदक की ओर से प्रोपाइटर श्री शैलेन्द्र देवांगन स्वयं उपस्थित।<br>– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाईट दर्शाये बगैर, विधानसभा रोड, मोवा, रायपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था।<br>– इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि वे अधिनियम की धारा 9 के तहत् प्राधिकरण में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकृत हैं और उनका पंजीयन क्रमांक–CGRERA010618A000189 है। अनावेदक द्वारा बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से "शगुन रेसीडेन्सी" का विज्ञापन किया गया था, उक्त प्रोजेक्ट भी रेरा में पंजीयन क्रमांक–PCGRERA290618000401 के रूप में पंजीकृत है। अनावेदक ने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा कमीशन पर उक्त पंजीकृत प्रोजेक्ट की मार्केटिंग का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जानकारी के अभाव में प्रसारित एस.एम.एस. में रजिस्ट्रेशन नंबर व वेबसाईट का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः अनावेदक ने सद्भाविक त्रुटि के कारण क्षमा याचना की है।<br>– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक बल्क एस.एम.एस. प्रसारित करने की तिथि के काफी पूर्व ही रेरा में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकृत है। अनावेदक द्वारा रियल एस्टेट एजेंट के रूप में जिस प्रोजेक्ट का विज्ञापन किया गया था, वह प्रोजेक्ट भी पूर्व से ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के | |

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

Gun,

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00162

**रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध शौर्य इन्फ्राटेक**

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।<br><br>– प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।<br><br>(नरेन्द्र कुमार असवाल)<br>सदस्य<br>भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण<br>छत्तीसगढ़, रायपुर<br><br>(राजीव कुमार टम्टा)<br>सदस्य<br>भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण<br>छत्तीसगढ़, रायपुर<br><br>(विवेक ढाँड)<br>अध्यक्ष<br>भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण<br>छत्तीसगढ़, रायपुर | |